उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPRATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN: U40101UP2004SGC028687

संख्या 3298 पारे0अनु0–16/पाट्रकालि/2017–(74)/2013 दिनांक 05 सितम्बर, 2017

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर– I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 ।

विषयः– **उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों, को सप्तम वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2016, दिनांक 01.07.2016 एवं 01.01.2017 से अनुमन्य महँगाई भत्ते की दरों का भुगतान।**

महोदय,

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पूर्णकालिक कार्मिकों के सम्बन्ध में सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण का आदेश उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 3268–पारे0अनु0–16ए/ पाट्राकालि/2017 दिनांक 01.09.2017 के माध्यम से जारी कर दिये गये हैं, जिसके अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमानों में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नानुसार महँगाई भत्ता अनुमन्य होगा :–

तिथि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2016	शून्य
01 जुलाई, 2016	02 प्रतिशत
01 जनवरी, 2017	04 प्रतिशत

2. इस आदेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के आगणन हेतु मूल वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन से है किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिधि में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

3. महँगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम–9(21) के अन्तर्गत 'वेतन' नहीं माना जायेगा।

(क्रमशः...... 2)

4. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्ति, मृत्यु या सेवा–मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा–समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. दिनांक 01.01.2017 से देय बढ़ी हुई महँगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान माह अगस्त, 2017 का वेतन, जो माह सितम्बर, 2017 में देय है, से नकद किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त महँगाई भत्ते की दरों के अवशेष का भुगतान उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के सप्तम वेतन आयोग के वेतन पुनरीक्षण आदेश दिनांक 01.09.2017 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (सम्बद्ध),
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

सं0 3298 पारे0अनु0–16 / पाट्रकालि / 2017–(74) / 2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
6. उपमहा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), निदेशक आपरेशन शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (सम्बद्ध),
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)